निदेशालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
राजकीय आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ- 226024
पत्रांः उ.प्र.कौ.वि.मि./2024-25/ विविध पत्रावली
दिनांकः 28.02.2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1271/कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/2023-24/लखनऊ दिनांक 06.07.2023 द्वारा परफारमेंस बैंक गारण्टी के स्थान पर प्रति जनपद रू0 2.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट Uttar Pradesh Skill Development Society के पक्ष में मिशन में जमा किये जाने के निर्देश प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु जारी किये गये हैं।

संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रशिक्षण प्रदाताओं की बैंक गारण्टी वर्तमान में कालातीत (Expire) हो गयी है जिसके सापेक्ष उनके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट मिशन में जमा नहीं कराया गया है। उक्त प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किये जाते हैः-

1. ऐसे प्रशिक्षण प्रदाता संस्थायें (राजकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं को छोड़कर) जिनकी बैंक गारण्टी वर्तमान में कालातीत (Expire) हो गयी हैं, उन्हें बैंक गारण्टी के स्थान पर डिमांड ड्राफ्ट मिशन में जमा किये जाने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जाता है।
2. उक्त अवधि के अन्तर्गत यदि प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा बैंक गारण्टी के सापेक्ष डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनका मिशन से अनुबंधन समाप्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

Signed by
Abhishek Singh
Date: 28-02-2025 17:44:24

(अभिषेक सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांः उ.प्र.कौ.वि.मि./2024-25/ विविध पत्रावली, तद्दिनांकित।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
3. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता (राजकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं को छोड़कर), आबद्ध उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. समस्त सहायक प्रबन्धक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को इस आशय से कि उन्हें आवंटित प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचित करते हुए विवरण अपडेट कराने के आशय से प्रेषित।
6. सहायक प्रबन्धक- आई0टी0 को मिशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अभिषेक सिंह)
मिशन निदेशक